-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.05.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित लगभग 76.41 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

विवरण- लगातार आपराधिक कार्यों में संलिप्त माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.05.2024 को बड़ी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल नि0 करतल थाना नरैनी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 76.41 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कालिंजर श्री जयचन्द सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.05.2024 को अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 76.41 लाख रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया।

अभियुक्तों का विवरण -

1. शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल नि0 करतल थाना नरैनी जनपद बांदा

अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल की जब्त सम्पत्ति का विवरण-

1. 01 साइन मोटरसाइकिल UP90Q6624 कीमत लगभग 56 हजार 77 रुपये।
2. 01 मकान व 04 प्लाट अनुमानित कीमत 75 लाख 85 हजार 05 सौ रुपये।

आपराधिक इतिहास शिवरंजन उर्फ भैय्यन पुत्र इन्द्रपाल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 71/21 धारा 302/201 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 11/12 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 204/11 धारा 323/504/506/387 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 26/10 धारा 110जी सीआरपीसी थाना नरैनी जनपद बांदा।